HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13108/2026
CNR: RJHC020806402026 | URN: CRLMB / 24234U / 2026

Abhishek S/o Raj Kumar, R/o Village Garhi Jaunabad, Police Station Rajakheda, District Dholpur. (At Present Accused Confined In Jail, Dholpur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ramu Dubey
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP with Mr. Sapan Soni

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

21/08/2026

प्रार्थी अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना– राजाखेड़ा, जिला– धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत किया हैं।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष हैं और उनको इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी अभियुक्त पर केवल हवा में फायर करने के आरोप हैं, जिससे किसी को भी कोई प्राणघात चोटें कारित नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 30.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त अभिषेक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **अभिषेक पुत्र राज कुमार** की ओर से प्रस्तुत ये जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किये जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना– राजाखेड़ा, जिला– धौलपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2026, में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोशप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

46/RAMESHWAR PRASHAD